लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4284

12 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्य निष्पादन

4284. श्री योगी आदित्यनाथ:

डॉ. भारती बेन डी. श्याल:

श्री रवीन्द्र कुमार राय:

श्री शेर सिंह गुबाया:

प्रो. चिंतामणि मालवीय:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की कई इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा घाटे में चल रही (सेल) की इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना तैयार की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): चन्द्रपुर फैरो अलॉय संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र और विश्वैश्वरैया आयरन और स्टील प्लांट समेत सेल के संयंत्रों का पिछले 5 वर्षों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:-

प्लांट /यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भिलाई स्टील प्लांट	2715	2048	2085	2232	405
दुर्गापुर स्टील प्लांट	503	553	416	506	-527
राउरकेला स्टील प्लांट	646	363	212	232	-2524
बोकारो स्टील प्लांट	703	308	202	451	-2203
इस्को स्टील प्लांट	-411	-159	-653	-1072	-1939
अलॉय स्टील प्लांट संयंत्र	-53	-120	-93	-134	-83
सेलम स्टील प्लांट	-155	-420	-376	-355	-466

विश्वैश्वरैया आयरन स्टील प्लांट	-131	-117	-123	-97	-116
सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट	11	10	3	7	21
चंद्रपुर फैरो प्लांट	10	-39	-78	-45	-78
कच्चा माल प्रभाग /केन्द्रीय इकाईयां	1313	813	1628	634	310
सेल लाभ (+)/हानि (-) कर पूर्व	5151	3241	3225	2359	-7198
कर	1608	1070	608	266	3061
सेल लाभ (+)/हानि (-) कर पश्चात	3543	2170	2616	2093	-4137

(ख): सेल यूनिटों द्वारा सामना की जा रही हॉनियों के प्रमुख कारण विश्व स्तर पर अत्यधिक क्षमता की विद्यमानता का होना और मांग में गिरावट का होना है जिससे घरेलू उत्पादकों पर कीमत संबंधी दबाव पड़ा है।

(ग): सेल समेत इस्पात क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाएं गए कदम निम्नवत है:-

i. सरकार ने इस्पात समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टो के आवंटन को सरल बनाने हेतु माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंड एक्ट, 2015 अधिसूचित किया है।

ii. इस्पात पर सीमा शुल्क की अधिकतम दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना। लम्बे उत्पादों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर को चरणों में 5 प्रतिशत की पूर्व संशोधित दर से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और चपटे उत्पादों पर 7.5 प्रतिशत की पूर्व संशोधित दर से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया ।

iii. घरेलू इस्पात उत्पादकों द्वारा एक याचिका दायर करने पर एचआर क्वायल पर 20 प्रतिशत की सेफ गार्ड ड्यूटी सितम्बर, 2015 में अनंतिम रूप से अधिसूचित की गई और इसके लिए अंतिम अधिसूचना मार्च, 2016 में जारी हुई, जिसके तहत 20 प्रतिशत की यह सेफ गार्ड ड्यूटी सितम्बर, 2016 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, इसमें कमी करते हुऐ इसे चरणबद्ध तरीके से 18 प्रतिशत (मार्च, 2017 तक), 15 प्रतिशत (सितम्बर, 2017 तक) और 10 प्रतिशत (मार्च, 2018) किया गया।

iv. भारत सरकार ने इस्पात के चुनिन्दा उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) अधिसूचित किया है (5 फरवरी, 2016) और कुछेक इस्पात उत्पादों पर 05 अगस्त, 2016 से दो माह के लिए इसका विस्तार किया है तथा 05 अक्तूबर, 2016 से पुन: दो माह के लिए इसका विस्तार किया गया है।

v. दिनांक 08 अगस्त 2016, 17 अगस्त, 2016 और 2 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना के तहत चीन, जापान, कोरिया, रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया एवं यूक्रेन से चपटे उत्पादों (हॉट राल्ड एवं कोल्ड रॉल्ड) तथा वायर रॉड का होने वाले आयात पर अनंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(घ) और (ड.): वर्तमान में सेल के इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क संबंधी समस्त आवश्यकता की पूर्ति इसके कैप्टिव लौह अयस्क खानों से की जाती है। सेल इस्पात संयंत्रों में चल रही आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के लिए लौह अयस्क की लगभग 39 मिलियन टन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान लौह अयस्क खानों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। सांविधिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने के पश्चात् खानों का विस्तार किया जायेगा।

***